न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–03, अजमेर

पीठासीन अधिकारी – **नीरज गुप्ता, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 226/2026
(सी.आई.एस.नंबर 226/2026)

परमेश्वर कुमार प्रजापत पुत्र श्री जेठमल प्रजापत, उम्र 34 वर्ष, निवासी रेण गेट कैलाशपुरी भिनाय जिला अजमेर। **––––प्रार्थी/आरोपी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक. **––––अभियोगी**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–128/2025, पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर, अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 19 फर्टिलाईजर कन्ट्रोल आदेश 1985

उपस्थितिः–

1. श्री भंवर सिंह गौड, विद्वान् अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से।

–आदेश–

दिनांक 09–03–2026

1. प्रार्थी/आरोपी **परमेश्वर** की ओर से हस्तगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अग्रिम जमानत आवेदन पत्र की प्रति विद्वान् अपर लोक अभियोजक को दिलवाई गई। संबंधित प्रकरण की केस डायरी तलब की गई।

3. बहस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

4. दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/आरोपी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रकरण में धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है, जिसके तहत परिवाद ही दर्ज हो सकता है, ना की एफआईआर। प्रार्थी/आरोपी सहायक के तौर पर मौके पर कार्यरत था, ना की मालिक के तौर पर। जमानती अपराध को मुकदमा में फंसाने की गर्ज से अजमानती बनाया गया है। प्रार्थी/आरोपी से कोई अनुसंधान व बरामदगी शेष नहीं है। अनुसंधान अधिकारी प्रार्थी/आरोपी को गिरफ्तार करने पर आमादा है। प्रार्थी/आरोपी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

Authenticated document

स्वीकार कर एफ.आई.आर संख्या 128/2025, थाना भिनाय, अजमेर के अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किये जाने की प्रार्थना की कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को गिरफ्तार करने की सूरत में उसके द्वारा जमानत मुचलके प्रस्तुत करने पर उसे रिहा कर दिया जावे।

5. वहीं दौराने बहस अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/मुलजिम के विरूद्ध धारा 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 19 फर्टिलाईजर कन्ट्रोल आदेश 1985 में अपराध प्रमाणित माना गया है, मुलजिम से अभिरक्षात्मक अनुसंधान किया जाना है। यदि आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया, तो अनुसंधान प्रभावित होगा। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी रामनिवास, सहायक निदेश कृषि विस्तार केकडी द्वारा उपस्थित पुलिस थाना भिनाय होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि प्रार्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1 (15) कृषि–1/2024 दिनांक–20.02.2024 द्वारा सहायक निदेशक कृषि (वि) के पद पर केकड़ी में पदस्थापन किया गया है एवं राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या प. 12(8) कृषि–1/इनपुट/2024 दिसम्बर 16, 2024 द्वारा उर्वरक निरीक्षक घोषित किया गया। कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4.60 आ०कृ० / गु०नि०/2025 26/दिनाक 14.05.2025 तथा श्रीमान संयुक्त निर्देशक कृषि (वि) के पत्रांक एफ (0/गु०नि०/2025–26/1181–1213 दिनाक 16.05.2025 के निर्देशानुसार आगामी खरीफ गीसग में कृषको को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 15.06.2025 से 10.07.2025 तक सघन अभियान संचालित करने निर्देश प्राप्त हुए है। कृषि आदान निर्माताओं/विक्रेताओं के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत अधिनियमो/नियमों/नियंत्रण आदेशों द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के तहत विक्री पर रोक/जब्ती की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। उत्ता आदेशों की अनुपालना एवं श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जि.प अजमेर एवं श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (गु.नि.),कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर के द्वारा दूरभाष एवं वाट्सऐप से प्राप्त निर्देशानुसार क्षेत्र में स्थित कृषि आदान विक्रय केन्द्र, मैसर्स धातोल ग्राम सेवा सहकारी समित्ति लि. घातोल, तह. भिनाय, जिला, अजमेर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान भंडारण एवं विक्रय परिसर में उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की विभिन्न धाराओं का उलघन पाया गया। पाये गये संदिग्ध/अवैध उर्वरक के कट्टो पर बड़े अक्षरों में **"BIO–NPK"** लिखा हुआ है जो कि किसानो को **NPK** खाद के रूप में भ्रमित कार्य करने की श्रेणी में आता है। अतः नियमानुसार उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 धारा 28 (1) (बी) के तहत दिनाक 06:06 2025 को सांय 10:30 बजे उक्त उर्वरक के 263 कट्टो (50 किलो प्रति बैग) को जब्त किया गया तथा नियमानुसार नमूना आहरण कर विश्लेषण हेतु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला व अभिरक्षा हेतु खण्ड कार्यालय में निजवाया जायेगा तथा एक भाग संस्था के जिम्मेदार व्यक्ति सहायक परमेश्वर पुत्र श्री जेठमल जाति प्रजापत निवासी रेनगेट, तह भिनाय जिला अजमेर (आ.न. 574532980232 मो.नं.

7014110317) को सुपुर्द कर प्राति रसीद ली गयी। चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2ए के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उपरोक्त का निर्माण/भण्डारण/ विक्रय विभिन्न प्रावधानों के तहत किया जाना आवश्यक है। उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियन्त्रण) आदेश 1985 की धारा 28(1) डी के तहत मौका पर उपस्थित गवाहो के समक्ष संदेहास्पद / अवैध उक्त उर्वरक के नमूने का आहरण, जब्ती की कार्यवाही, गोदाम सीज की कार्यवाही की गयी है। इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का श्रम करावें.....इत्यादि । उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना भिनाय द्वारा अभियोग सं. 128/25 318(4),61(2) BNS व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 19 फर्टिलाईजर कन्ट्रोल आदेश 1985 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

7. जहां तक अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का सम्बंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **AIR 2014 (SC) page 626 State of M.P. v/s Pradeep Sharma** में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः-

> "Power in sec. 438 CRPC is extra ordinary in character and it is to be exercised only in exceptional cases, where it appears that the person may be falsely implicated"

न्यायिक दृष्टान्त **पंकज बनाम स्टेट ऑफ राज. 1996 क्रि. लॉ. जन. 3265 दिनांक 26 अप्रेल 1996** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत केवल उन्हीं अपवादिक मामलों में दी जानी चाहिए जहां यह पाया जाए कि अभियुक्त निर्दोष है और उसे मिथ्या तौर पर संलिप्त किया गया है और उसकी अपराध में भूमिका नहीं रही हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यतन न्यायिक **दृष्टांत (2023) 8 सुप्रीम कोर्ट केसेज 181 प्रतिभा मनचंदा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य** में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः-''अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय अभियुक्त की स्वतंत्रता एवं निर्दोषिता की उपधारण के साथ-साथ अपराध की गंभीरता, समाज में पड़ने वाले प्रभाव तथा स्वच्छ अनुसंधान की आवश्यकता के बिंदु को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।''

8. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जहा कोई मामला अपवादिक प्रकृति का हो जिसमें यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध में गलत रूप से संलिप्त किया गया है और उसका आरोप से कोई संबंध नही है।

9. जहां तक उक्त न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण का संबंध है, हस्तगत प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से मुलजिम के विरूद्ध धारा 318(4),61(2) BNS व धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 19 फर्टिलाईजर कन्ट्रोल आदेश 1985 का अपराध प्रमाणित माना गया है। जो एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके अनुसार जब्तशुदा खाद्य पदार्थ अमानक पाया जाना दर्शित है। प्रार्थी/आरोपी पर अमानक पदार्थ बाबत धोखाधडी करने के गंभीर अपराधों के

आरोप है, जिसमें प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है, जिसमें अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। यदि प्रार्थी/मुलजिम को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया, तो उससे अनुसंधान प्रभावित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

10. अतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना इस न्यायालय के विनम्र मत में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी/आरोपी परमेश्वर कुमार प्रजापत पुत्र श्री जेठमल प्रजापत, उम्र 34 वर्ष, निवासी रेण गेट कैलाशपुरी भिनाय जिला अजमेर की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-03, अजमेर

12. आदेश आज दिनांक 09-03-2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया जाकर सरे इजलास उद्घोषित किया गया।

(नीरज गुप्ता)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-03, अजमेर

IMRAN
Digitally signed by IMRAN
Date: 2026.03.10 10:44:25 +0530

Authenticated document